



निर्णय  
11-12-2025

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
राजेन्द्र आदि बनाम दलीप आदि  
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 614 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
03.12.2025	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 09.12.2025 को पेश हो।	
4.12.2025	वकील प्रतिकारी ने प्रार्थना पत्र सिवाल पेश करने पर प्रतिकारी को पेश के लिया गया कुलार् फरिडेन उपखण्ड प्रतिकारी स.0.1.2 ने जस्टिस वकील आर.कुमार उपखण्ड आर.कुमार नरकाल दाश पेश किया जिसे शामिल फर्दल किया गया प्रतिकारी कोस्टे स्टेट जजमर आर.कुमार तारीख 5.12.2025 को पेश हो।	  सरीज
05.12.2025	कुलार् फरिडेन • वास्तवतः उप खण्ड प्रतिकारी के पास है। प्रतिकारी प्रतिकारी कोस्टे स्टेट जजमर 11.12.2025 को पेश हो	
11.12.2025	कुलार् फरिडेन उपखण्ड स्टेट जजमर गुरु उभा वदत मुनी नरकी लगानकी का अत्रलो मज बिधा गारा प्रतिकारी पर उपखण्ड रिकार्ड करके व नरकी प्रतिकारी भी सहकारी के आर.कुमार पर वाद नरकी डिक्ली किया जाता है। पूर्व जिवला साहित सिविक अरुज से निवापा जाकर शामिल फर्दल किया जाने प्रतिकारी नरकर से कम की जाकर वाद नरकी व नरकील जाकर दाखिल दफतर हो।	